छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | पंचादश सत्र | अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी, 2018
(माघ 18, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 से 11 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री श्यामलाल कंवर अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित एवं 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं देने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 तथा

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिये) एवं पालन प्रतिवेदन **पटल पर रखे।**

5. दिसम्बर, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2017 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2017 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2018 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है:-

मैं, संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पुनर्विचार किये जाने हेतु प्रेषित करता हूं।

8. राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 91 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में सदन के पटल पर रखा गया।

9. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के मार्च, 2016 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल, अगस्त, 2017 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से शेष बचे 3 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा दिसम्बर, 2017 सत्र में पारित 6 विधेयकों में से 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

10.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

11. व्यवस्था का प्रश्न

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने लौटाये गए विधेयक को पटल पर रखे जाने के संबंध में कथन किया कि सरकार ने विधान सभा की अवमानना की है। माननीय सदस्य ने इस पर व्यवस्था दिये जाने का आग्रह किया ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि माननीय राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वह बिल को स्वीकृत करे, अस्वीकृत करे या पुनर्विचार के लिये विधान सभा को भेजे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है। अभी इसमें कोई चर्चा नहीं होगी । जब पुनर्विचार का प्रस्ताव आयेगा, तब अपनी बात कह सकते हैं।

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

12. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय विपक्ष के सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज प्रातः 8.00 बजे प्राप्त हुई है। स्थगन प्रस्ताव, जिन मुद्दों पर आधारित है, उनके संबंध में पूर्व सत्र में भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है तथा वर्तमान सत्र में भी अनुपूरक अनुमान, अभिभाषण, बजट एवं विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस विषय पर विस्तार से चर्चा हेतु अवसर उपलब्ध रहेगा, तथापि आप सबकी भावनाओं पर विचार करते हुए मैं इस विषय पर किसी अन्य माध्यम से चर्चा कराऊंगा।

13. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, डॉ. प्रीतमराम, सदस्य ने सरगुजा जिले एवं बिलासपुर संभाग में हाथियों का आतंक व्याप्त होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

14. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सूचित किया कि चतुर्थ अनुपूरक का उपस्थापन पूर्व में 6 फरवरी को निर्धारित था और उस पर चर्चा एवं मतदान का पारण 7 फरवरी के लिए निर्धारित था किंतु 6 फरवरी को निधन उल्लेख के बाद सदन की कार्यवाही दिवंगतों के सम्मान में स्थगित कर दी गई थी, इसलिए मैंने आज ही अनुपूरक अनुमान के उपस्थापन एवं उस पर चर्चा का समय निर्धारित किया है।

15. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में के.एस.के. महानदी पावर कंपनी द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति का पालन नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

16. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री संतराम नेताम
(2) श्री शंकर ध्रुवा
(3) श्री केशव चंद्रा
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री अरूण वोरा

17. वर्ष 2017-2018 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-2018 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज दिनांक 7 फरवरी, 2018 की तिथि निर्धारित की।

18. वर्ष 2017-2018 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 12, 21, 23, 30, 41, 47, 51, 55, 64, 66 एवं 79 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार चार सौ बारह करोड़, सैंतालीस लाख, छिहत्तर हजार, नौ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, केशव चंद्रा,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्याम बिहारी जायसवाल, कवासी लखमा, (डॉ.) खिलावन साहू, अमरजीत भगत, अशोक साहू, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

19. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय धर्मस्व मंत्री ने राजिम कुंभ मेला कल्प में माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है। राजिम जाने के लिये बस की व्यवस्था की गई है।

20. वर्ष 2017-2018 के चतुर्थ अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री टी.एस. सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

21. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2018 (क्रमांक-1 सन् 2018)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2018 (क्रमांक-1 सन् 2018) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनूसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2018 (क्रमांक-1 सन् 2018) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

सायं 4.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 8 फरवरी, 2018 (माघ-19, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा